

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) रजिस्टर्ड ऑफिस : 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई - 400 020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) REGISTERED OFFICE: 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI-400 020

85/4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस, आगरा-282002 (द.प्र.) फोन: 0562-2523076 फैक्स : 0562-2523024 85/4, Ispat Bhawan, 3rd Floor, Sanjay Place, Agra-282002 (U.P.) Ph.: 0562-2523076 Fax: 0562-2523024 Letter No. NRO/SAHPAU/01

सेवा में,

प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रमाग जिला हाथरस।

विषय:-जनपद हाथरस में सादाबाद-जलेसर मार्ग (एस.एच.-122) कि.मी. 49 (चैनेज-48.633) के गाटा संख्या 1096 (मी),ग्राम-सहपऊ, तहसील-सादाबाद पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा द्वारा न्यू रिटेल आउट-लेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0781246 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। सन्दम:-पत्र संख्या 8 बी/यूपी./06/168/2023/एफ.सी./93 दिनांक 01-08-2024 महोदय.

संदर्भित पत्र, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है का संज्ञान लेने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में प्रस्तावक की अनुपालन मदवार निम्नवत है।

S.N.	Observation	Compliance
1	The revised KML file has been uploaded to the portal, but according to the approved layout plan, the length of ENTRY /EXIT in the KML file does not match the approved layout plan KML file of the area proposed for diversion need to revised and uploaded on the Parivesh portal.	आपको अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,संजय प्लेस आगरा द्वारा अपलोड करी गयी केएमएल फाइल को अनुमोदित लेआउट प्लान के अनरूप ही बनाया गया है जिसमे 7.0 मीटर चौड़ी 156 मीटर लम्बी प्रस्तावित सर्विस रोड को भी दर्शाया गया है अनुमोदित लेआउट प्लान में 63 मीटर की दूरी पर रिलायंस बीo पीo मोबिलटी लिमिटेड (गुरुग्राम) के पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग को भी दर्शया गया रिलायंस बीo पीo मोबिलटी लिमिटेड (गुरुग्राम) द्वारा 0. 2329 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग अनुमति हेतु भारत सरकार के पर्यावरण ,वनएवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब पोर्टल पर आवेदन किया गया था जिसकी प्रपोजल संख्या FP/UP/PetrolPump/422399/20233 है तथा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बिना वृक्ष पातन 0.2329 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की विधिवत स्वीकृति दिनांक 12.03.2024 निर्गत की जा चुकी है तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.03.2024 द्वारा अनुमति आदेश जारी किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सर्विस रोड निर्माण कार्य रितायंस बीo पीo मोबिलिटी लिमिटेड (गुरुग्राम) पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य 0.2329 हेक्टेयर हस्तातिरत हो चुकी संरक्षित वन भूमि को शामिल करके ही किया जायेगा जिसके कारण प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड आगरा द्वारा केवल शेष बची न्यूनतम 0.0781246 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के लिए ही आवेदन किया जा रहा जो सर्विस रोड बनाने हेतु आवरयक है।संशोधित के केएमएल फाइल को प्रयोक्ता अमिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया।
2	AS per the layout plan separator island proposed for diversion but according to the KML file attributes separator island has not been proposed for diversion this needs to be rectified.	सेपरेटर आइलैंड का निर्माण कार्य सादाबाद—जलेसर मार्ग के दोनों किनारों पर स्थित 1.5 मीटर के EARTHEN SHOULDER पर ही किया जायेगा जिसका स्वामित्व लोक निर्माण विभाग जिला हाथरस का है। अतः उक्त EARTHEN शोल्डर भूमि को छोड़कर केवल न्यूनतम संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु आवेदन किया रहा है।
3 उक्त	As per the layout Plan, the 7.0 m wide 156-meter long service road has been proposed. All components as mentioned in the layout plan needs to be depicted in the KML of the area proposed for diversion accordingly, all the related documents needs to be revised and uploaded on Parivesh portal.	अनुमोदित लेआउट प्लान अनुसार 7.0 मीटर चौड़ी 156 मीटर लम्बी प्रस्तावित सर्विस रोड को डायवर्जन हेतु केएमएल में दर्शाया गया है। लेआउट प्लान में उल्लिखित सभी घटकों को डायवर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के केएमएल में दर्शाया गया है तथा रिलायंस बी० पी० मोबिलटी लिमिटेड (गुरुग्राम) पेट्रोल पम्प को हस्तांतरित हो चुकी वन भूमि के साथ दर्शाया गया है जिसका विवरण संशोधित जी पी एस भैप में भी कर दिया गया है। समस्त संशोधित दस्तावेजों को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया।

"In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section IA read with section 3 (C) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the Central Govern111e11t vide its Notification dated 29.11.2023 hereby notifies the guidelines specifying the terms and conditions to be abided by the State Government or Union territory, while considering exemptions provided under sub-sec1io11(2) of section IA of the said Adhiniyam, namely:

9. The State Government or the Union territory Administration may authorise an officer of the level of Deputy Conservator of Forests or above to grant permissions in respect of proposals proposed for providing connectivity to the road and rail side amenities and habitations involving up to 0.1 ha afforest land.

Hence as per new Act and Rules the instant proposal for approach road to retail outlet involving area less than o.Tha of forest area (i.e. 0.0781246 ha.) may be processed by the State Govt. at their level.

उक्त आख्या एवं भारत सरकार द्वारा दिए गार आदेश के ।दृष्टिगत प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही किए जाने बैठे राज्य अनुসূধ करने का कष्ट करें।

स्थान :- आंगरा० चन्द्र प्रत

आकाश दीप तिवारी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रंबधक-रिटेल आगरा क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकृत हरुव्राक्षरकर्ता

85/4,इस्पात भवन, तृतीय तल, राजय प्लेस आगरा-282002